न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, टोंक

(लोकेश कुमार गौतम, आर0ए0एस0 द्वारा अध्यासित)

पत्रावली संख्या:– 46/2015
प्रविष्टि दिनांक:– 10.07.2015
निर्णय दिनांक:– 24.06.2016

रामकन्या पुत्री बन्ना जाति जाट निवासी ग्राम आवंडा तहसील मालपुरा जिला टोंक राज0

.....प्रार्थीया/आवेदिका

बनाम

1–श्रीमति भूरी उर्फ राजा बेवा बन्ना जाट
2–कल्याण पुत्र जवाहरा जाट
3–रामदेव पुत्र रामकरण जाट
4–काना पुत्र धन्ना जाट
5–मन्ना पुत्र हरचन्दा जाट
6–घीस्या पुत्र हरचन्दा जाट
7–श्रीमति सायर पत्नि रतना जाट
समस्त निवासीयान ग्राम आवंडा, तहसील मालपुरा, जिला टोंक राजस्थान।
8–तहसीलदार मालपुरा जिला टोंक राजस्थान।

.....अप्रार्थीगण

आवेदन अन्तर्गत धारा 235 राज0 टिनेन्सी एक्ट बाबत मुंतकिल करने वाद न्यायालय उपजिला कलेक्टर मालपुरा , उनवानी मुकदमा श्रीमति मोहनी आदि बनाम श्रीमति भूरी उर्फ राजा आदि वाद इस्तकरार हक व स्थायी निषेधाज्ञा वाद सं0 47/2012

उपस्थितः (1) श्री सीताराम विजय, अभिभाषक..... प्रार्थी
(2) श्री प्रमोद कुमार शर्मा, अभिभाषक अप्रार्थी सं0 1,67

निर्णय

दिनांक 24.06.2016

1. संक्षेप में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि प्रार्थीया द्वारा एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 235 राज0 टीनेन्सी एक्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि प्रार्थीया व उसकी बहिनों श्रीमति मोहनी, श्रीमति कानी, श्रीमति कैलाशी ने एक दावा उनवानी श्रीमति मोहनी बनाम श्रीमति भूरी उर्फ राजा आदि बाबत इस्तकरार हक एवं स्थायी निषेधाज्ञा के सम्बन्ध में न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मालपुरा के यहां पेश किया था जिसका मुकदमा नं0 47/2012 है जिसे उक्त न्यायालय से अन्य निष्पक्ष न्यायालय में भिजवाने हेतु यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है।

2. प्रार्थना पत्र न्यायालय में प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर कर उसकी प्रति उपखण्ड अधिकारी मालपुरा को टिप्पणी हेतु भेजी गयी एवं तलबी जरिये सम्मन प्रतिपक्षीगण की गई। प्रतिपक्षी सं0 1,6,7 द्वारा जवाब पेश किया, उपखण्ड अधिकारी से टिप्पणी मंगवाई गई एवं बहस अभिभाषक उभयपक्ष सुनी गई।

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
टोंक

Scanned by CamScanner

3. विद्वान अभिभाषक प्रार्थी ने अपनी बहस में निवेदन किया कि उक्त न्यायालय में प्रार्थीया अपने गवाहान को दिनांक 02.01.2014 दि0 11.11.14 को ले जाकर उनकी साक्ष्य के लिए शपथ पत्र पेश किये लेकिन विपक्षी अभिभाषक ने उनसे जिरह नहीं की, इसके अलावा भी 2–3 बार प्रार्थीया साक्ष्य लेकर गयी लेकिन जिरह नहीं की। विपक्षी के अभिभाषक उनके सगे संबंधी है तथा विपक्षी अपने अभिभाषक से चुपचाप मिलकर तारीख ले लेते है जिससे प्रार्थीयाके केस के निर्णय में विलम्ब हो रहा है। दिनांक 11.11.14 को भी विपक्षी ने अपने अभिभाषक से मिलकर प्रा0पत्र आदेश 8 नियम 1ए (3) पेश करवा दिया तथा उसी दिन भी प्रार्थी के गवाहान से जिरह नहीं की, ना ही प्रार्थना पत्र में बहस की। विपक्षी के अभिभाषक प्रभावशाली व राजनैतिक व्यक्ति है तथा पीठासीन अधिकारी पर अनुचित दबाव बनाकर उनसे तारीखे ले लेते है एवं न्यायालय के पीठासीन अधिकारी भी उनके कहने के अनुसार कार्यवाही अमल में ला रहे है व उनके साक्ष्य से जिरह कराने में मदद कर रहे, इस कारण प्रार्थीया को शंका हो गई है कि उसके केस में उसे न्याय नहीं मिलेगा। शीघ्र न्याय नहीं मिलने से गवाहो के बदलने की आंशका बनी रहती है, प्रार्थीया अपने केस को उक्त न्यायालय से न्यायालय उपजिला कलेक्टर टोंक के यहां लाना चाहती है ताकि उसके केस का शीघ्र निस्तारण हो सके व उसके गवाहान के बयान हो सके।

4. उपखण्ड अधिकारी मालपुरा द्वारा अपने पत्र कमांक 15764 दिनांक 22.07.15 से टिप्पणी भेजी गयी जिसके अनुसार उक्त उनके न्यायालय में जेरकार होना स्वीकार किया है। वादिया की साक्ष्य हेतु लगातार 8–9 पेशियां बदली गई, इसके बाद भी तीन पेशियां वादिया की साक्ष्य में पडी लेकिन वादिया की ओर से साक्ष्य उप0 नहीं आये। इस प्रकार प्रतिपक्षी के अभि0 ने मात्र एक अवसर जिरह में लिया है। प्रतिवादी व उनका अभिभाषक आपस में एक दूसरे के सगे संबंधी हो तो, इसकी जानकारी नहीं है, बल्कि स्वयं वादिया के अभिभाषक द्वारा उनकी साक्ष्य उप0नहीं आने की वजह से तारीखे ले ली। अभिभाषक प्रतिवादी द्वारा प्रा0पत्र 08आर(आईए) व 3 सीपीसी पेश किया है जिसे भी अगली पेशी पर निस्तारित कर दिया है। पीठासीन अधिकारी पर अभिभाषक प्रतिवादी द्वारा कभी भी अनुचित दबाव देकर कोई पेशी नहीं बदलवाई बल्कि पेशियां स्वयं वादिया के अभिभाषक के निवेदन पर वादिया की साक्ष्य नहीं आने के कारण ही है। यदि प्रार्थीया (वादिया) उक्त उनवानी प्रकरण को अन्य अदालत में ट्रांसफर करवाना चाहती है तो वह बिल्कुल स्वतंत्र है। इस प्रकार प्रार्थीया द्वारा मनगढन्त प्रा0 पत्र पेश किया है जिसका कोई आधार नहीं है। यदि उक्त वाद को यदि किसी दीगर न्यायालय में स्थानान्तरित किया जाता है को पीठासीन अधिकारी को किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं है।

5. विद्वान अभिभाषक प्रतिपक्षीगण ने अपनी बहस में जवाब प्रा0 पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि साक्ष्य हेतु शपथ पत्र पेश करने के बाद जिरह के लिए स्वयं गवाह तत्पर नहीं हुए, शपथ पत्र समय पर पेश नहीं किये गये थे, हमारे अभिभाषक से कोई रिश्तेदारी नहीं है। किसी भी पक्षकार को पक्षकारान की गवाही से पूर्व आवेदन पेश करने का अपने पक्ष को रखने का दस्तावेज पेश करने का अधिकार है। स्वयं वादी के वकील ने दरख्वास्त का जवाब देने व बहस के लिए तारीख ली है। वर्तमान पीठासीन अधिकारीसे पूर्व कई पीठासीन अधिकारियों द्वारा प्रकरण में सुनवाई की गयी है उन पीठासीन अधिकारियो के समक्ष प्रार्थीगण ने न तो अपने गवाह पेश किए न ही कायवाही में प्रभावी रूप से भाग लिया। पत्रावली में जिन गवाहान के शपथ पत्र पेश किये गये है वो

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
टोंक

Scanned by CamScanner

सभी मुकदमें के पक्षकार है जिनके बयान बदले जाने का कोई सवाल नही नहीं है। प्रार्थीया रामकन्या जिस सम्पत्ति के संबंध में दावा लेकर आयी है उस सम्पत्ति को स्वयं रामकन्या ने हमारी मानकर खरीद किया है। रजिस्ट्री करायी है जिस संबंध में हमारी तरफ से दस्तावेज पेश किया गया है, सारे आरोप गलत है। पीठासीन अधिकारी पर आरोप गलत लगाये गये है। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी चलने योग्य न होने खारिज फरमाया जावें।

6. हमने अभिभाषक उभयपक्ष की बहस पर मनन किया व उपखण्ड अधिकारी मालपुरा की टिप्पणी व जवाब अभि0 प्रतीपक्षीगण का भी अवलोकन किया। प्रकरण दिनांक 10.07.15 को कार्यरत उपखण्ड अधिकारी मालपुरा से न्याय मिलने की उम्मीद से वहां जेरकार प्रकरण सं0 47/2012 उनवानी मोहनी बनाम भूरी उर्फ राजा वगैरह उपखण्ड अधिकारी मालपुरा से अन्य न्यायालय उपजिला कलेक्टर टोंक में स्थानान्तरण किये जाने हेतु प्राप्त हुआ है। उपखण्ड अधिकारी मालपुरा द्वारा अपनी टिप्पणी में प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्य पूर्णतया मनगढंत व असत्य होना तथा किसी भी न्यायालय में वाद स्थानान्तरित करने में कोई आपत्ति नहीं होना अंकन किया है। प्रार्थीगण द्वारा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मालपुरा के पीठासीन अधिकारी पर जो आरोप लगाये उसकी पुष्टि में कोई साक्ष्य सबूत ऐसे प्रस्तुत नहीं किये है जिससे उनके प्रार्थना पत्र की पुष्टि हो सके। चूंकि प्रार्थी द्वारा पीठासीन अधिकारी पर लगाये गये आरोपो के समर्थन में भी कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की है। तत्कालीन उपखण्ड अधिकारी मालपुरा जिनसे पक्षकार (प्रार्थीया) को सम्भावित न्याय की उम्मीद नहीं थी उनके स्थान पर अब अन्य पीठासीन अधिकारी भी आ गये है। ऐसे कोई तथ्य हमारे सामने नहीं आये जिससे कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र समर्थन योग्य हो, ऐसी स्थिति में प्रार्थना पत्र प्रार्थी न्यायालय खारिज किये जाने योग्य पाता है।

आदेश

7. फलतः उपरोक्त विवेचनो के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रार्थीया खारिज किया जाता है।
8. निर्णय आज दिनांक 24.06.2016 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। —

(लोकेश कुमार गौतम)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
टोंक (राज0)

Scanned by CamScanner